

भारत में वित्तीय समावेशन: अब तक की यात्रा और आगे का पथ*

के. सी. चक्रवर्ती

श्री एम. नरेन्द्र जी, अध्यक्ष, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, श्री वाई. एम. देवस्थली जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एल एण्ड टी फाइनेंस, श्री अरुण तिवारी जी, कार्यपालक निदेशक, इलाहाबाद बैंक, सुश्री शेरीन भान जी, प्रबंध संपादक, सीएनबीसी-टीवी 18, इस सभा में पधारे हुए प्रतिनिधियों, मीडिया से संबंधित मित्रों, देवियों और सज्जनों! वित्तीय समावेशन के बहुत ही प्रासंगिक विषय पर सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा आयोजित इस सभा में आज यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। खास तौर से मुझे इस बात की खुशी है कि एक व्यावसायिक समाचार चैनल, जिसने अपने रिपोर्टाज और वित्तीय बाजारों के विश्लेषण के लिए एक विश्वसनीय ख्याति अर्जित की है, हमारी आबादी के बैंक सुविधा रहित और अपवर्जित, परंतु शांत सामान्य जनसमुदाय की आवश्यकताओं और प्रत्याशाओं के प्रति अपनी आवाज देने के लिए यह पहल कर रहा है। मीडिया की ताकत तथा जनमत को प्रभावित करने और जागरूकता उत्पन्न करने की उसकी अद्भुत क्षमता को देखते हुए भारत में वित्तीय समावेशन के प्रयासों को शक्ति से संजीवित करने के लिए इस प्रकार की पहलों की असीम संभावना है। इस सराहनीय प्रयास के लिए मैं सीएनबीसी टीवी 18 को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आनेवाले दिनों में की जानेवाली ऐसी अनेक पहलों की श्रृंखला में यह पहली कड़ी है।

भूमिका

2. गरीबी और अपवर्जन भारत में सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक वार्तालाप में निरंतर हावी हैं जैसा कि स्वसंत्रता के बाद की अवधि में पिछले छह दशकों के दौरान उनकी स्थिति रही है। गरीबी को कम करना भारत में आयोजना के प्रारंभ से लेकर विकास की नीति का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। भारत

में दशकों से विभिन्न गरीबी-विरोधी, रोजगार उत्पादन और मूलभूत सेवा संबंधी कार्यक्रम परिचालन में रहे हैं। निरंतर हो रहे सुधार गरीबी हटाने तथा राज्यों के बीच व्यापक विभिन्नताओं और ग्रामीण-शहरी विभाजन के समाधान को अत्यंत महत्व देते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही तक प्रभावी संवृद्धि दरों को दर्ज किया है, फिर भी उसका प्रभाव खेदजनक रूप में निम्नतम जनसमुदाय तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है। विश्व की दस तीव्रतम गति से वृद्धिशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत अब भी दुनिया की गरीब जनता के एक-तिहाई हिस्से के लिए निवास-स्थान है। इसके अलावा विश्लेषण से यह पता चलता है कि गरीबी अपेक्षाकृत अधिक निर्धन राज्यों में लगातार संकेंद्रित हो रही है।

3. हमारी जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बचत के संग्राहकों तथा उत्पादन और निवेश के लिए ऋण के आबंटनकर्ताओं के रूप में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्तीय मध्यवर्ती के तौर पर बैंक नये वाणिज्यिक कार्यकलाप सफलतापूर्वक प्रारंभ करने के सर्वोत्तम अवसरों के साथ उद्यमकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें ऋण आबंटित करने के द्वारा देश की आर्थिक संवृद्धि में योगदान करते हैं। कम से कम सभी खुदरा वाणिज्य बैंक भी विप्रेषण सुविधाएँ और अन्य भुगतान संबंधी उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार, अंतर्निहित रूप से बैंकिंग क्षेत्र के पास परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में कार्य करने और समाज में धन का पुनर्वितरण सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक संभाव्यता है।

4. तथापि, यह निराशाजनक है कि सहकारी आंदोलन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्माण आदि जैसे उपायों के माध्यम से देश में समावेशी बैंकिंग पहलों के लागू करने के वर्षों के बाद भी बैंकिंग प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराये जानेवाले उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच रखनेवाले लोगों की संख्या लगातार अत्यंत सीमित है। जैसा कि नोबल पुरस्कार विजेता प्रो. अमर्त्य सेन ने भी कहा है, “भारत में विकास संबंधी नीति का बल निदर्शक तौर पर एकमात्र कार्यकुशलता पर फोकस से हटकर ईक्विटी पर फोकस में; संवृद्धि की दर और स्वरूप तथा असमानताओं, आय और धन के वितरण पर फोकस से हटकर उस सीमा पर फोकस में परिवर्तित हुआ है जहाँ तक लोग एक निर्वाहक जीवन जीने की अपेक्षाओं से वंचित हैं और ‘सामर्थ्य वंचना’ से पीड़ित हैं।” पिछले पाँच वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य नीति-निर्धारकों ने भी दृढ़ संकल्प के साथ वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को महत्व दिया है तथा जनसाधारण के लिए वित्तीय सेवाओं तक

*डॉ. के. सी. चक्रवर्ती, उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 सितंबर 2013 को नई दिल्ली में सीएनबीसी टीवी 18 द्वारा आयोजित वित्त समावेशन सभा में दिया गया मुख्य भाषण। सुश्री सुष्मा विज्ज एवं सुश्री मुग्गा परांजपे द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए आभार।

पहुँच को सुधारने में विवेचनीय प्रगति प्राप्त की है। तथापि, यह प्रगति संतोषजनक नहीं है जैसा कि विश्व बैंक फिंडेक्स सर्वेक्षण (2012) से विदित है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारतीय वयस्कों के केवल 35 प्रतिशत का ही औपचारिक बैंक खाते तक पहुँच है तथा पिछले 12 महीने में औपचारिक तौर पर 8 प्रतिशत ने उधार लिया है। वयस्कों के केवल 2 प्रतिशत ने ही अन्य क्षेत्र में रहनेवाले पारिवारिक सदस्य से धनराशि प्राप्त करने के लिए किसी खाते का उपयोग किया और सरकार से भुगतान प्राप्त करने के लिए 4 प्रतिशत ने किसी खाते का उपयोग किया। ये नगण्य अल्प संख्याएँ वित्तीय समावेशन की कार्यसूची को आगे और बढ़ावा देने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर स्थित लोग औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल हों, लाभान्वित हों, और अपनी वित्तीय खुशहाली को सुधारें।

5. वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप वित्तीय समावेशन के महत्व को जोरदार ढंग से रेखांकित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैश्विक तौर पर व्यक्तियों के जीवन पर इस संकट का उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। लाखों लोगों ने अपनी आजीविका खो दी है, अपने घरों और बचत को खो दिया है। संकट के लिए एक प्रमुख कारण यह था कि वित्तीय प्रणाली का ध्यान अपने स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने पर केन्द्रित था तथा उसने वास्तविक क्षेत्र के साथ और व्यापक रूप से समाज के साथ अपनी संबद्धता खो दी थी। संकट के परिणामस्वरूप यह भी जान लिया गया कि खुले बाजार की शक्तियाँ वित्तीय प्रणाली में सदैव अधिकाधिक कार्यकुशलता का कारण नहीं बनतीं, विशेष रूप से समाज के असुरक्षित वर्गों के हितों की रक्षा करते समय। यह सूचना की विषमता के कारण है जो इन वर्गों के विरुद्ध कार्य कर रही है जिससे वे तीव्र हानि से ग्रस्त होते हैं। अतः संकट के परिणामस्वरूप विश्व भर में अनेक देशों में समावेशी संवृद्धि के लिए वित्तीय समावेशन एक नीतिगत अनिवार्यता के रूप में उभरा है। फिर भी, यद्यपि वित्तीय समावेशन के लिए काफी दिखावटी सेवा की गई है, तथापि वास्तविक प्रगति बिल्कुल असंतोषजनक रह गई है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यह खेदजनक है कि वित्तीय समावेशन से संबंधित समूची बहस ने उल्लेखनीय ऊष्मा और ध्वनि तो उत्पन्न की है, परंतु इसने बहुत कम प्रकाश उत्पन्न किया है।

6. आज मैं अपने भाषण में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किये गये कुछ उपायों को विस्तार से बताना चाहता हूँ, प्राप्त की

गई प्रगति के संबंध में कहना चाहता हूँ और देश में सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन के लिए हमारे अन्वेषण में बाधा पहुँचानेवाली चुनौतियों पर जीत हासिल करने में आगे के मार्ग पर प्रकाश भी डालना चाहता हूँ।

वित्तीय समावेशन के उद्देश्य

7. हम भारतीय रिजर्व बैंक में हमारे वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में जो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, मैं उसके साथ अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हमने वित्तीय समावेशन की परिभाषा “*विनियमित मुख्य धारा के संस्थागत खिलाड़ियों द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एक वहनीय लागत पर सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों जैसे असुरक्षित समूहों के लिए आवश्यक उपयुक्त वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया*” के रूप में दी है। हम वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को जुड़वें स्तंभों के रूप में मानते हैं जहाँ वित्तीय समावेशन आपूर्ति की ओर अर्थात् पहुँच का निर्माण करने के लिए कार्य करता है तथा वित्तीय साक्षरता माँग की ओर से अर्थात् वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए माँग का निर्माण करने के लिए कार्य करता है।

8. सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं तक अप्रतिबंधित पहुँच एक खुले और कुशलता से संपन्न समाज के लिए अनिवार्य है। बैंकिंग सेवाएँ आवश्यक तौर पर जनसाधारण के कल्याण के लिए हैं। अतः यह अनिवार्य है कि किसी भेदभाव के बिना समूची जनता के लिए बैंकिंग और भुगतान सेवाओं की उपलब्धता सरकारी नीति का स्वीकृत लक्ष्य है। हमारी सुविचारित धारणा के अनुसार मूलभूत बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को उपलब्ध कराना वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया का पहला चरण है। हमें यह भी विश्वास है कि केवल मुख्य धारा के विनियमित वित्तीय खिलाड़ी ही सार्थक वित्तीय समावेशन ला सकते हैं क्योंकि उनके पास निर्माण के चरण में आवश्यक निवेश करने तथा प्रारंभिक चरणों में तब तक प्रति-सहायकीकरण करने की क्षमता है जब तक वे आत्मनिर्भर न बनें। वित्तीय समावेशन के लिए प्रधान माध्यम के रूप में बैंकों पर हमारा फोकस भी इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि केवल वे ही उत्पादों का समूचा सेट प्रदान कर सकते हैं जो अर्थवान वित्तीय समावेशन को सुसाध्य बनाएगा।

9. अब मैं यह बताना चाहूँगा कि वित्तीय समावेशन कैसे समाज और अर्थव्यवस्था की महायता कर सकता है। वित्तीय समावेशन के पास सकारात्मक बहिर्भाव उत्पन्न करने की क्षमता है। यह बचत और निवेश में वृद्धि करने के लिए मार्ग

प्रशस्त करता है और इसके द्वारा आर्थिक संवृद्धि की प्रक्रियाओं को प्रेरित करता है। यह विशेष रूप से उस निम्नतर आय श्रेणी के बीच धन की बचत करने की आदत विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जो लगातार वित्तीय दबाव की छाया के तले रहता आया है जिसका मुख्य कारण बचत का अभाव है जो उन्हें असुरक्षित समूह बना देता है। बैंकिंग सेवाओं और उत्पादों की उपस्थिति का उद्देश्य बचत की आदत डालने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराना है। यह बैंक-सुविधा से रहित जनसाधारण के लिए औपचारिक ऋण के अवसर भी निर्मित करता है जो अन्यथा परिवार, मित्रों और महाजनों जैसे ऋण के अनौपचारिक माध्यमों पर निर्भर है। औपचारिक बैंकिंग माध्यमों से समय पर पर्याप्त और पारदर्शी ऋण की उपलब्धता देहाती क्षेत्र में उत्पादन और समृद्धि को बढ़ाने के लिए जनता की उद्यमी भावना को प्रोत्साहित करेगी। यह निम्न आय वाले और बैंक सुविधा रहित लोगों के लिए औपचारिक विप्रेषण की सुविधाओं के द्वार खोलेगा, जो वर्तमान में एक स्थान से दूसरे स्थान में धनराशि भेजने के लिए सभी प्रकार के अनौपचारिक और खर्चीले तरीकों का उपयोग करने के लिए विवश हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, वित्तीय समावेशन को अब उत्पादों को सहायता प्रदान करने और नकद भुगतान करने के माध्यम की अपेक्षा लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे लाभ के अंतरण के माध्यम से सरकार के लाभों और सब्सिडियों के वितरण में अंतरों और छीजनों को बंद करने के लिए एक उपचारात्मक उपाय के रूप में देखा गया है। इस प्रकार, कुल मिलाकर वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बैंक-सुविधा रहित जनसमुदाय को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाने, उनकी बचत के लिए माध्यम मुहैया कराने, ऋण उपलब्ध कराने के द्वारा उद्यम कर्ताओं की महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने तथा इस तरह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की संभाव्यता है।

वित्तीय समावेशन के प्रति दृष्टिकोण

10. अब मैं वित्तीय समावेशन के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण की चर्चा करूँगा। हमने दोनों माँग और आपूर्ति संबंधी दबावों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए वित्तीय समावेशन के प्रति एक संरचित, सुनियोजित और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। वित्तीय समावेशन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करनेवाली कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं :

- हमने वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों के नेतृत्व वाला मॉडल अपनाया है, परंतु बैंकैतर संस्थाओं को वित्तीय

समावेशन संबंधी उनकी पहलों में बैंकों को साझेदार बनाने की अनुमति दी है।

- दर्शन के तौर पर हमने सदैव बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय समावेशन का अनुसरण एक वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में करें और उसे समाज-सेवा अथवा धर्मार्थ सहायता के रूप में न देखें। यदि बैंकों को अधिकाधिक बैंक-सुविधारहित क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने परिचालनों का विस्तार करना है तो वित्तीय समावेशन की पहलों की आत्मनिर्भरता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण हैं।
- हमने बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है कि वे वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने की लागत को न्यूनतम रखते हुए अधिकाधिक पहुँच और प्रवेश पाने के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन करें। जबकि हम प्रौद्योगिकी के संबंध में तटस्थ हैं, हम बैंकों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) की व्यवस्था के संबंध में जिस किसी भी प्रौद्योगिकी का चयन करें, निर्बाध रूप में उसका समन्वयन करें।
- हमने बैंकों को सूचित किया है कि वे वित्तीय समावेशन संबंधी अपने प्रयासों का विस्तार करने के लिए नवोन्मेष व्यावसायिक मॉडलों और वितरण सरणियों को अपनाएँ। बैंकों के लिए नये उत्पाद विकसित करने और नये वितरण मॉडल अभिकल्पित करने की आवश्यकता है जो दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वित्तीय रूप से अपवर्जित लोगों की विलक्षण आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त रूप में तैयार किये गये हों।
- वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता संरक्षण और अंततः वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय साक्षरता को एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग के रूप में मानते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के प्रति प्रयास साथ-साथ किये जाएँगे। वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई विभिन्न पहलों के साथ ही, इस प्रक्रिया में संबद्ध विभिन्न हितधारकों के प्रयासों का समन्वयन करने के लिए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के तत्वावधान में वित्तीय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) को भी अंतिम रूप दिया गया है।

- बैंकों के लिए एक प्रेरक विनियामक परिवेश का निर्माण करने तथा उनके वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों में संस्थागत सहायता प्रदान करने के द्वारा रिजर्व बैंक वित्तीय समावेशन में एक सहायक भूमिका अदा करता रहा है। महत्वपूर्ण तौर पर हमने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए बैंकों को अपनी स्वयं की कार्यनीतियाँ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्रता और स्थान उपलब्ध कराया है तथा उन्हें अपनी संबंधित वित्तीय समावेशन योजनाओं के माध्यम से अपने स्वयं के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पहचान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया है।

सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था

11. हमारी शक्ति इस तथ्य में निहित है कि देश भर में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को सहायता प्रदान करने के लिए हमने एक सुदृढ़ संस्थागत व्यवस्था का निर्माण किया है। अपवर्जित लोगों की संख्या और देश के भौगोलिक आकार के तौर पर इस कार्य की अधिकता को ध्यान में रखते हुए यह अत्यंत आवश्यक था।

- भारत एक ऐसा देश है जहाँ एफएसडीसी को वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता के लिए एक विशिष्ट अधिदेश प्राप्त है। एफएसडीसी के तत्वावधान में वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता संबंधी एक अलग तकनीकी दल है जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधि हैं।
- अधिकाधिक वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासों को गति देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक के एक उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक वित्तीय समावेशन सलाहकार समिति (एफआईएसी) का गठन किया है। उक्त एफआईएसी में सदस्यों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड से कुछ निदेशक तथा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) क्षेत्र से लिये गये विशेषज्ञ/अन्य नागरिक समाज के प्रतिनिधि आदि हैं। सदस्यों की सामूहिक विशेषज्ञता और अनुभव का उन्नयन इन विषयों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए करने की प्रत्याशा है, जैसे पहुँच-योग्य और वहनीय वित्तीय सेवाओं पर फोकस करते हुए व्यवहार्य और धारणीय बैंकिंग सेवाओं के वितरण मॉडल विकसित करना, ग्रामीण एवं शहरी बैंक-सुविधा रहित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद और प्रक्रियाएँ विकसित करना।
- राज्य स्तर पर हमारे पास सभी राज्यों में राज्य-स्तरीय बैंकर समितियाँ (एसएलबीसी) हैं। आगे और निचले

स्तर पर जाते हुए हमारे पास सभी 659 जिलों में अग्रणी जिला प्रबंधक हैं तथा हाल ही में महानगरीय क्षेत्रों को अग्रणी बैंक योजना में शामिल किया गया है।

- बैंकों द्वारा लगभग 700 वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित किये गये हैं। स्व-रोजगार उद्यम प्रारंभ करने के लिए क्षमता-निर्माण की दिशा में कार्य करनेवाले ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-एसईटीआई) हैं।

वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए रिजर्व बैंक की नीतिगत पहलें

12. अब मैं कुछ ऐसी सहायक नीतिगत पहलों की व्याख्या करूँगा जो देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक ने की हैं।

(क) पहुँच

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा-विस्तार

शाखा प्राधिकरण में इस सीमा तक छूट दी गई है कि बैंकों के लिए 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केन्द्रों में शाखाएँ खोलने के लिए पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं है जो कि सूचना देने के अधीन है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएँ खोलने में आगे और गति लाने के लिए बैंकों को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अपनी नई शाखाओं में से कम से कम 25 प्रतिशत शाखाएँ बैंक सुविधा से रहित ग्रामीण केन्द्रों में खोलें।

2013-14 के लिए वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी वित्तीय समावेशन योजनाओं (एफआईपी) के साथ एक तीन वर्ष के चक्रीय सह-लक्ष्य (को-टर्मिनस) में बैंक-सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएँ प्रारंभ करने को प्राथमिकता देने पर विचार करें। इससे यह प्रत्याशित है कि बैंक-सुविधा रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखा विस्तार सुसाध्य होगा।

(ii) एजेंट बैंकिंग - व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुलभकर्ता मॉडल

जनवरी 2006 में रिजर्व बैंक ने व्यवसाय सुलभकर्ताओं और व्यवसाय प्रतिनिधियों के उपयोग के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराने में मध्यवर्तियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए बैंकों को अनुमति दी। उक्त व्यवसाय प्रतिनिधि मॉडल ग्रामीण जनता के लिए काफी निकटवर्ती स्थान पर 'नकदी प्राप्त करने-नकदी अदा करने' संबंधी लेन-देन करने के लिए बैंकों को सुविधा

प्रदान करता है तथा इस प्रकार दूरस्थ स्थान तक पहुँचने की समस्या का समाधान हो जाता है।

(iii) वित्तीय समावेशन की उद्देश्य-पूर्ति के लिए शाखा और शाखा प्रतिनिधि संरचना का संयोजन

यह विचार विशेष रूप से भौगोलिक रूप से अस्तव्यस्त फैले हुए क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन के विस्तार हेतु भौतिक शाखा नेटवर्क और शाखा प्रतिनिधियों का संयोजन करने के लिए है। बैंकिंग के प्रवेश में वृद्धि और बैंक प्रतिनिधियों के परिचालनों पर नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वर्तमान आधार शाखा और बैंक प्रतिनिधि के स्थानों के बीच ग्रामीण केन्द्रों में मध्यवर्ती ईट और गारे से बने निर्माणों के रूप में कम लागत वाली शाखाएँ स्थापित करें जिससे लगभग 3-4 किलोमीटर की उचित दूरी पर बैंक प्रतिनिधियों के एक समूह (लगभग 8-10 बैंक प्रतिनिधि) के लिए सहायता प्रदान की जा सके।

(ख) प्रवेश

शिथिल केवाईसी मानदंड

- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी अपेक्षाओं को ऐसी सीमा तक सरल बनाया गया है कि बैंक अधिकारियों की उपस्थिति में स्व-प्रमाणीकरण के साथ छोटे खाते खोले जा सकते हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात की अनुमति दी है कि बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी अपेक्षा पूरी करने के लिए पात्र दस्तावेजों में से एक दस्तावेज के रूप में 'आधार' का उपयोग किया जा सकता है।

बैंक-रहित गाँवों में बैंकिंग सेवाओं के लिए रूपरेखा

- पहले चरण में, बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 2010 तक 2,000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए एक रूपरेखा बनाएँ। बैंकों ने यह लक्ष्य सफलतापूर्वक प्राप्त किया है तथा 74,398 बैंक-रहित गाँवों को समाविष्ट किया है।
- दूसरे चरण में, एक समयबद्ध तरीके से शेष गाँवों अर्थात् 2,000 से कम जनसंख्या वाले गाँवों को समाविष्ट करने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। सारे देश में 2,000 से कम जनसंख्या से युक्त लगभग 4,90,000 शेष बैंक-रहित गाँवों की पहचान की गई है तथा उन्हें विभिन्न बैंकों

को आबंटित किया गया है। बैंकों को गाँवों का आबंटन करने के पीछे विचार प्रत्येक गाँव में कम से कम एक बैंकिंग केन्द्र की उपलब्धता सुनिश्चित करना था।

(ग) उत्पाद

वित्तीय सेवाओं का गुच्छा

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताएँ पूरी की जाएँ, हमने बैंकों को न्यूनतम चार मूलभूत उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया है, अर्थात्-

- एक बचत एवं ओवरड्राफ्ट खाता
- एक पूर्णतया बचत खाता, आदर्श रूप से एक आवर्ती अथवा परिवर्ती आवर्ती जमा
- इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण (ईबीटी) और अन्य विप्रेषणों को सुसाध्य बनाने के लिए एक विप्रेषण उत्पाद, तथा
- उद्यमकर्ता ऋण उत्पाद, जैसे एक सामान्य प्रयोजन वाला क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) अथवा एक किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

(घ) लेनदेन

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

आधार के मंच का उन्नयन करते हुए हाल ही में लागू किया गया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा करने के द्वारा समाज कल्याण के लाभों के वितरण को सुसाध्य बनाने में सहायता पहुँचाएगा। सरकार के पास भविष्य में लाभार्थियों के विलक्षण पहचानकर्ता के रूप में आधार पर निर्भर मंच का प्रयोग करते हुए बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से सभी सामाजिक सुरक्षा संबंधी भुगतान करने की योजनाएँ हैं। सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की पहल के सुचारु रूप से विस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे :

- स्थानीय सरकारी अधिकारियों की सहायता से कैप पद्धति में सभी पात्र व्यक्तियों के खाते खोलें।
- वर्तमान और नये खातों में आधार संख्याएँ अंकित (सीड) करें।
- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए प्रभावी तंत्र की व्यवस्था करें।

वित्तीय समावेशन की बैंकों की योजना

14. वित्तीय समावेशन योजना 2010-13

हमने बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजनाएँ (एफआईपी) तैयार करने के माध्यम से उच्चतम स्तरों पर प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के प्रति एक संरचित और सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उक्त वित्तीय समावेशन योजनाओं का पहला चरण 2010-13 में कार्यान्वित किया गया। रिजर्व बैंक ने बैंक स्तर पर वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों के लिए आधार के रूप में उक्त वित्तीय समावेशन योजनाओं का उपयोग करने की अपेक्षा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की वित्तीय समावेशन योजनाओं की तुलना में उनके कार्यानिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक संरचित, व्यापक निगरानी तंत्र कायम किया है। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया हेतु शीर्ष प्रबंधन का समर्थन और उनकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अब तक क्या उपलब्धि रही है?

15. तीन वर्ष की अवधि के दौरान मुख्य मानदंडों के लिए वित्तीय समावेशन योजनाओं (अप्रैल 10-मार्च 13) के अंतर्गत बैंकों द्वारा की गई प्रगति का एक तात्कालिक चित्र (स्नैप शॉट) निम्नानुसार है :

- मार्च 2010 में गाँवों में विद्यमान 67,694 बैंकिंग केन्द्रों की तुलना में मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार गाँवों में 2,68,000 बैंकिंग केन्द्र स्थापित किये गये हैं।
- इस अवधि के दौरान लगभग 7400 ग्रामीण शाखाएँ खोली गई हैं।
- लगभग 109 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) जोड़े गए हैं और इस प्रकार बीएसबीडीए की कुल संख्या 182 मिलियन तक बढ़ गई है। आईसीटी आधारित खातों की संख्या काफी बढ़ गई है। कुल बीएसबीडीए में से आईसीटी खातों का प्रतिशत मार्च 10 में विद्यमान 25 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2013 में 45 प्रतिशत हो गया है।
- इस अवधि के दौरान लगभग 9.48 मिलियन कृषि क्षेत्र के घर-परिवारों के जुड़ने के साथ ही, मार्च 2013 की

समाप्ति पर 33.8 मिलियन घर-परिवारों को छोटे उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया है।

- इस अवधि में लगभग 2.25 मिलियन कृषीतर क्षेत्र के घर-परिवारों के जुड़ने के साथ, मार्च 2013 की समाप्ति पर 3.6 मिलियन घर-परिवारों को छोटे उद्यमकर्ता ऋण प्रदान किया गया है।
- उक्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से आईसीटी आधारित खातों में लगभग 4904 लाख लेनदेन किये गये हैं।

16. यह महत्वपूर्ण है कि इस प्रगति का विश्लेषण कुछ व्याकुल कर देनेवाली प्रवृत्तियों की तुलना में किया जाए, जो उन संरचित वित्तीय समावेशन संबंधी पहलुओं के कार्यान्वयन में देखी गई थीं जिन्हें बैंकों ने 2010 से लेकर प्रारंभ किया था। पहली बात, 1991 और 2007 के बीच देश में बैंक-सुविधा युक्त केन्द्रों की संख्या वास्तव में 35,236 से घटकर 34,471 हो गई थी। दूसरी, इसी अवधि के दौरान ग्रामीण शाखाओं की संख्या भी उल्लेखनीय रूप में घट गई थी (35,206 से घटकर 30,409 हो गई थी)। इस पृष्ठभूमि के साथ 2010-13 के दौरान की गई प्रगति निश्चय ही अपूर्व है।

वित्तीय समावेशन योजना 2013-16

17. अपवर्जित लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बैंकों को अब सूचित किया गया है कि वे अवधि 2013-16 के लिए एक नई 3 वर्षीय वित्तीय समायोजन योजना (एफआईपी) तैयार करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि उनके द्वारा तैयार की गई वित्तीय समायोजन योजनाएँ भिन्न-भिन्न हों तथा नीचे शाखा स्तर तक व्याप्त हों। वित्तीय समावेशन संबंधी प्रयासों में समूचे पदानुक्रम में बैंक स्टाफ की संबद्धता को सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समावेशन योजनाओं के अंतर्गत रिपोर्टिंग की संरचना में एकरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी इन योजनाओं का विखंडन किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन अभियान के एक भाग के रूप में खोले गये नये खातों में लेनदेनों की मात्रा पर भी अब अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

चुनौतियाँ और आगे का पथ

18. वित्तीय स्थिरता के साथ समावेशी संवृद्धि का वर्तमान नीतिगत लक्ष्य सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित किये बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे अनुभव से यह विदित होता है कि जब तक समूची सहायक प्रणाली इस मिशन में बैंकों

के साथ साझेदारी नहीं करती, तब तक केवल बैंक इसे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। केवल नीति-निर्धारकों, विनियमनकर्ताओं, सरकारों, आईटी समाधान प्रदाताओं, मीडिया और समग्र रूप में जनसाधारण का समर्थन ही सर्वव्यापी वित्तीय समावेशन की ओर हमारी यात्रा में एक निर्णायक रूपांतरण ला सकता है।

19. यह प्रत्याशित है कि बैंक-सुविधा से रहित जनसाधारण का वित्तीय समावेशन समाज के उन वर्गों की अत्यधिक अदोहित संभाव्यता को उद्घाटित करेगा जिनसे पिरामिड का आधार निर्मित है। फिर भी, वित्तीय समावेशन मिशन का अनुवर्तन करने में सामान्य बैंकिंग मॉडल में यह पाया गया है कि लागत, मापनीयता, सुविधा, विश्वसनीयता, लचीलेपन और निरंतरता के तौर पर उसमें कमी है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक वित्तीय समावेशन के प्रति पर्याप्त ध्यान दें, उन्हें इसे एक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी अथवा विनियामक दायित्व के रूप में देखने की अपेक्षा एक व्यवहार्य व्यावसायिक तौर पर प्रस्तावित योजना के रूप में अवश्य देखना होगा। व्यवसाय को अर्थक्षम होने के लिए मौजूदा बैंकिंग बुनियादी संरचना का अधिकाधिक उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा। यह तभी संभव होगा जब बैंक पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में खोले गये मूलबूत बैंक खातों के धारकों एवं बैंकों द्वारा प्राप्त नये ग्राहकों को उत्पादों और सेवाओं का समूचा गुच्छा प्रदान कर सकें।

20. हमारे पिछले अनुभव से तथा बैंकों के साथ वित्तीय समावेशन योजना की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठकों में यह उजागर हुआ है कि यदि सर्वव्यापी और एक सार्थक वित्तीय समावेशन का सपना साकार होना है तो हमारे लिए आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना आवश्यक होगा:

(क) पहुँच में वृद्धि

- यह सुनिश्चित करना कि अगले 3 वर्षों में सभी बैंक-रहित गाँवों को समाविष्ट किया जाए।
- ग्रामीण शाखाओं में वृद्धि करने पर बल देना।
- सभी पात्र व्यक्तियों के लिए बैंक खाते खोलना।

(ख) लेनदेनों में वृद्धि

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का उन्नयन
- व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के माध्यम से ऋण उत्पादों का वितरण
- झंझट रहित आपात ऋण (अंतर्निहित ओडी)

(ग) मानव संसाधन (एचआर) संरचना

- वित्तीय समावेशन की अपेक्षाओं की दृष्टि से बैंक अपनी मानव संसाधन (एचआर) नीति की समीक्षा करें
- लागत के श्रेष्ठतम रूप में उपयोग के लिए स्टाफ के एक अलग संवर्ग को नियुक्त करने के संबंध में जाँच-पड़ताल करना

(घ) व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल का परिष्करण

- व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) वितरण मॉडल का स्थिरीकरण
- विप्रेषण मॉडल में नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करना
- व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) संबंधी परिचालनों के लिए नकदी प्रबंध की समीक्षा

(ङ) वित्तीय साक्षरता का प्रसार

- वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति को कार्यान्वित करना
- समर्पित वेबसाइट का निर्माण - स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करना
- वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करना

निष्कर्ष

21. जबकि हमारे सामने जो कार्य है वह चुनौतीपूर्ण है, मुझे विश्वास है कि इस चुनौती का सामना सफलतापूर्वक करने में एक सम्मिलित दृष्टिकोण निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। यद्यपि हम यह प्रत्याशा करते हैं कि वाणिज्य बैंक वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, तथापि मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को एकमात्र बैंक ही प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि अन्य हितधारक समूह भी इस प्रयोजन के लिए अपनी शक्ति के अनुरूप अंशदान करें, यह आवश्यक है। बैंकों के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक धारणीय, मापनीय और किफायती व्यावसायिक वितरण मॉडल निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

22. मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ कि वित्तीय समावेशन और समावेशी संवृद्धि अब केवल नीतिगत विकल्प नहीं हैं, बल्कि वे तो नीतिगत अनिवार्यताएँ हैं तथा

आगे बढ़ते हुए वे दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता एवं आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की धारणीयता का निर्धारण करनेवाले हैं। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम सब सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए वह दूरी तय करने के इच्छुक हों कि हमारे सह-देशवासी वित्तीय प्रणाली में सुगमतापूर्वक प्रवेश प्राप्त करें तथा इस प्रवेश का उपयोग करते हुए अपनी आर्थिक और सामाजिक खुशहाली में सुधार लाने में समर्थ हों। कृपया याद रखें कि यदि आर्थिक और सामाजिक अंतर को और बढ़ने दिया जाए तो धनवान लोग शांतिपूर्वक सो नहीं सकेंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा है, अपनी पहुँच और व्याप्ति को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका न केवल हमारे वित्तीय समावेशन मिशन में सहयोग प्रदान करने की है, अपितु दूर-दूर तक हमारे संदेश का प्रसार करते हुए पहल करने में अग्रगामी रहने की भी है। आज

का यह आयोजन वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के लिए मीडिया द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग का एक ज्वलंत प्रमाण है और मेरा दृढ़ विश्वास है कि यह सहयोग एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा सरकार और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को आगे और शक्तिसंपन्न करेगा।

25. मैं पुनः एक बार मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करने के लिए सीएनबीसी टीवी 18 को धन्यवाद देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि यह सभा अनेक नये व्यावहारिक विचारों और कार्यनीतियों को उजागर करने में सफल होगी जिन्हें आनेवाले दिनों में वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने में बैंकों और वित्तीय क्षेत्र के अन्य सहभागियों द्वारा कार्यान्वित किया जा सकेगा।

धन्यवाद !